संख्या- 28 /2025/2367/58-2025/1975410

प्रेषक,

विनय कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-02-112-03-उद्यान योजना में रू0-390.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-57/बजट/2025-26, दिनांक 24.09.2025 एवं पत्र संख्या-64/बजट/2025-26, दिनांक 13.10.2025 के सन्दर्भ में शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-बजट-1-117/ई-1/दस-2025, दिनांक- 17.10.2025 एवं पृष्ठांकन संख्या-2416/58-2025, दिनांक-21.10.2025 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-02-112-03-उद्यान योजना के मानक मद 01-वेतन में धनराशि रू0-200.00 लाख एवं मानक मद 03-महंगाई भत्ता में धनराशि रू0-190.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-390.00 लाख की उपलब्ध हो रही बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से योजनान्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी में रू0-390.00 लाख (रू0 तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र) को स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. विभागीय राजकीय पौधशालाओं, उद्यानों, पार्कों, प्रक्षेत्रों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अर्द्धकुशल माली की श्रेणी में मानते हुए दैनिक श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान रू0-237/- के स्थान पर श्रम विभाग द्वारा निर्धारित रू0-453/- की दर से किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
6. उद्यान विभाग द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-1/194/36-03-2014-07/(न्यू0वे0)/ 04, दिनांक 28-01-2014 के क्रम में विभागीय राजकीय पौधशालाओं, उद्यानों, पार्कों, प्रक्षेत्रों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों को अर्द्धकुशल माली की श्रेणी में मानने एवं उप श्रमायुक्त के पत्र सं0-801-07/प्रवर्तन- (एम0डब्ल्यू0)/15, दिनांक 01-10-2024 द्वारा अर्द्धकुशल श्रमिकों की निर्धारित मजदूरी की दर रू0-453/- के अनुसार भुगतान किये जाने पर श्रम विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
7. वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

13. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,90,00,000 (रुपये तीन करोड़ नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2406021120300 उद्यान- **मानक मद** 02 मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-28/2025/2367(1)/58-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
7- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय कुमार)
संयुक्त सचिव।